Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

ललित भाटी बनाम हेमन्त भाटी

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 304 सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20-11-2025	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सी पी सी. दिनांक 23.09.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र यह जाहिर किया है कि वादी के द्वारा जो ट्रेडमार्क शंकर छाप बीड़ी के नाम से है जो कि वादी ललित कुमार भाटी ने अपने पिता स्वर्गीय श्री शंकर सिंह भाटी के साथ वर्ष 1984 में ट्रेडमार्क शंकर छाप बीड़ी के नाम से पंजीकृत करवाया जिसका पंजीकरण संख्या 423834 क्लॉस 34 है । जो भागीदारी फर्म मैसर्स शंकर सिह एण्ड सन्स का गठन किया गया और इसमें ललित कुमार भाटी एवं उनके पिता शंकर सिंह भाटी की जो भागीदारी फर्म गठित की गई जिसमें कि उक्त ट्रेडमार्क के तहत बीड़ी निर्माण करना और उसका विक्रय किये जाने का व्यवसाय है, ललित भाटी सबसे बड़े पुत्र होने के कारण अपने छोटे भाई हेमन्त कुमार भाटी को भी उक्त फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया। एक ही परिवार में संयुक्त रूप से व्यवसायिक कार्य करते रहे, वादी के माताजी एवं पिताजी का देहान्त हो गया तो उसके बाद वादी ने प्रतिवादी हेमन्त कुमार भाटी से अपने संयुक्त व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो वह टालमटोल करता रहा, वादी के द्वारा जो प्रकरण प्रस्तुत किया गया तो वह न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि वादी के द्वारा ट्रेडमार्क संख्या 423834 के समान ट्रेड ब्राण्ड लेवल फर्म नेम शंकर सिंह एण्ड सन्स के नाम से बीडी निर्माण या उससे संबंधित किसी प्रकार का अन्य कार्य, विक्रय, विज्ञापन, संवर्धन सूचना आदि के संदर्भ अनुतोष दिये जाने हेतु है। ट्रेडमार्क का दस्तावेज एवं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के दस्तावेज है तथा जो प्रथम सूचना दर्ज कराई एवं जो वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमाणित प्रतिलिपियां है, जो तमाम दस्तावेज इस प्रकरण में सुसंगत है एवं प्रकरण के निस्तारण के लिये आवश्यक है, जिनकी जानकारी प्रतिवादी पक्ष को है तथा फोटोस्टेट प्रति कुल दस्तावेज की पूर्व से प्रस्तुत है व जिरह भी वादी पक्ष से नहीं हुई है, अतः उक्त तमाम दस्तावेज प्रकरण के निस्तारण के लिये सुसंगत है भूल एवं सहवन से असल दस्तावेज एवं प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्व में पेश नहीं हो सकी, जो कि इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जावें। खण्डन में विपरीत पक्ष ने अपने जवाब में यह जाहिर किया कि वादी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —2—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	एवं उनके पिताजी स्व. श्री शंकरलाल भाटी की एक भागीदारी फर्म का निर्माण वर्ष 1984 में हुआ, जिसका नाम मैसर्स शंकर सिंह एण्ड सन्स था, उक्त भागीदारी फर्म द्वारा ट्रेडमार्क शंकर छाप बीड़ी का आवेदन कर पंजीकरण करवाया व वादी अकेले ने नही बल्की उनके पिता ने उनकी भागीदारी फर्म मैसर्स शंकर सिंह एण्ड संस में जरिये भागीदारी विलेख दिनांक 20.12.1985 को प्रतिवादी को भागीदार बनाया गया। वादी उक्त भागीदारी फर्म में कोई सक्रिय कार्य नहीं करता एवं उनका रूझान राजनीति की तरफ था, इस बात को लेकर फर्म के अन्य भागीदार, शंकर सिंह जो कि वादी के पिता भी थे के बीच एवं प्रतिवादी के बीच मनमुटाव था। आदेश 7 नियम 14 सी पी सी का प्रावधान केवल उन परिस्थितियों पर लागू होता है, जहाँ वादी द्वारा वाद के साथ दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए हों और बाद में ऐसे नए दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति मांगी जाती हो। प्रस्तुत आवेदन वादी द्वारा न्यायालय की कीमती समय की अनावश्यक बर्बादी एवं कार्यवाही को अनावश्यक रूप से विलंबित करने हेतु दायर किया गया है, जब छायाप्रति पहले से ही वाद पत्र के साथ दायर की जा चुकी है और वादी ने वही दस्तावेज अपने दावे के समर्थन में बताये हैं, तो अब पुनः आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. का सहारा लेकर मूल दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः यह आवेदन पूर्णत: निरर्थक, निराधार एवं विधि–विरुद्ध है, जो अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उक्त प्रार्थना–पत्र के जरिये प्रस्तुत दस्तावेजात का परिशीलन किया गया। दस्तावेजात समस्त मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियां है, दस्तावेजात के संबंध में प्रार्थी/वादी का यह कथन है कि प्रतिवादी को उक्त दस्तावेजात के संबंध में जानकारी है, अधिकतम दस्तावेजात की फोटो प्रतियां दावा दायरी के समय प्रस्तुत की जा चुकी है। दोनों पक्षों के मध्य इस संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का लंबित है कि पंजीकृत ट्रेडमार्क संख्या 423834 के समान ट्रेड ब्राण्ड, लेबल फर्म नेम शंकर सिंह एण्ड सन्स के नाम से बीडी निर्माण व अन्य किसी प्रकार का कार्य, विक्रय,व्यवसाय से संबंधित प्रतिवादी पक्ष नहीं करें, इसी बाबत वाद में आदेशात्मक निषेधाज्ञा भी चाही है। प्रकरण अभी अति आरम्भिक स्तर पर है, प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित दस्तावेजात जो असल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियां है के अधिकतम दस्तावेजात की फोटो प्रतियां पूर्व से ही दावे में प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रस्तुत दस्तावेजात मामले के विवाद बिन्दुओं के निस्तारण किये जाने बाबत आवश्यक एवं सहायक होना प्रकट होते है। अतः मामले की तथ्य परिस्थितियों के मध्येनजर प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह वादी हेतु दिनांक ....को पेश हों।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी/वादिया की ओर से कथन किये गये है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —4—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	प्रतिवादी सं. 3 द्वारा दिनांक 6.10.21 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद-पत्र अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 12.4.89 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त दस्तावेज समुचित रूप से रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं डाले जाने के आदेश दिये जावें। उक्त प्रार्थना पत्र से दस्तावेज की सत्यता एवं वैद्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया था। उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राहय करने के लिए उक्त दस्तावेज को पर्याप्त रूप से स्टाम्पित कराया जाना आवश्यक है, अतः दस्तावेज को इम्पाउण्ड किया जाकर स्टाम्पित किये जाने हेतु कमिश्नर, स्टाम्प को प्रेषित किया जावें। प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनके द्वारा यह भी जाहिर किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.22 को पारित आदेश के पृष्ठ सं. 5 की पंक्ति सं. 3 में तीन लाख के स्थान पर तीस लाख टंकित हो गया है, जिसे भी दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी/वादिया की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) सी सी सी. 420 हैदराबाद उच्च न्यायालय प्रस्तुत किया गया। जवाब में वकील प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित बहस पेश करते हुए मुख्यतः कथन किये है कि तथाकथित इकरारनामा दिनांक 12-04-1989 वादिया इम्पाउण्ड कराकर स्टाम्पिंग करवाने का कथन कर रही है उक्त दस्तावेज वादिया के पक्ष में ही निष्पादित नहीं हुआ है इस कारण वादिया को उक्त दस्तावेज को इम्पाउण्ड करवाकर पूर्ण स्टाम्पिंग करवाने का कोई हक एवं अधिकार कतई प्राप्त नहीं है। तथाकथित इकरारनामा के सन्दर्भ में वाद में भी गलत तथ्यों को अंकित किया गया है जबकि उक्त इकरारनामा प्रथम दृष्टया ही कूटरचित एवं फर्जी प्रतीत होता है व जिस व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित होना दर्शित किया गया है उस व्यक्ति का पूर्व में ही स्वर्गवास हो चुका है। इकरारनामा पूर्ण प्रतिफल का अन्तरण नहीं दर्शित करता है, इकरारनामे के बाबत माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करना अथवा उसे इम्पाउण्ड कर स्टाम्पिंग हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है, उक्त तथाकथित इकरारनामे के निष्पादन के लगभग 34 वर्ष पश्चात इम्पाउण्ड कराने की जो बात कहीं है वह सुसंगत नहीं है, इस कारण भी उक्त दस्तावेज का इम्पाउण्ड होकर स्टाम्पिंत कराया जाना उचित नहीं है , प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आता है कि मूल रूप से वकील प्रतिवादी का यह कथन है कि जो वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है वह इकरारनामा दिनांकित 12.04.1989 के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त दस्तावेज छगनलाल के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जो व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार नहीं है। इस संबंध में हमारे विनम्र मत में हस्तगत वाद वादिया सज्जनदेवी द्वारा इकरारनामा दिनांक 12.04.1989 के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है तथा इस संदर्भ में उनके द्वारा वाद–पत्र की चरण सं. 1 में अभिवचन भी किये गये है, निश्चित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —5—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	रूप से उक्त दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 12.04.1989 में क्रेता छगनलाल हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं है, परन्तु सज्जन देवी द्वारा उक्त दस्तावेज को आधार बनाकर ही दावा प्रस्तुत किया गया है, जिससे उक्त दस्तावेज दावे का आधार हो जाता है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय जहै कि उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह तथ्य भी पूर्णतः स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज समुचित रूप से स्टाम्पित एवं पंजीकृत दस्तावेज नहीं है, क्योंकि दस्तावेज में विक्रय की गई सम्पत्ति का कुल मूल्य तीन लाख रूपये होना अंकित किया गया है, जिसमें तीस हजार रूपये पेशगी दी गई एवं 2,70,000/— रू. दिये जाने शेष थे। एैसी स्थिति में निश्चित रूप से उक्त दस्तावेज अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, जिसको कि विधि अनुसार स्टाम्पित कराया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में प्रार्थी/वादी की आेर से जो न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) सी सी सी. 420 प्रस्तुत किया गया है, में माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मूल रूप से अपर्याप्त स्टाम्पित दस्तावेज को धारा 35 के तहत कमी पूर्ति हेतु वैध किया जा सकता है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि स्टाम्प एक्ट, 1989 की धारा 33 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित दस्तावेजात को इम्पाउण्ड किया जावें। उक्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुएे प्रार्थिया/वादिया की आेर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 33 इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 व धारा 37 राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 को स्वीकार किया जाकर इकरारनामा दिनांकित 12.04.1989 को इम्पाउण्ड किया जाता है। वादी आगामी तारीख पेशी पर प्रमाणित प्रति पेश करें, जिस पर मूल दस्तावेज इकरारनामा दिनाकिंत 12.04.1989 को विधि अनुसार पूर्ण रूप से स्टाम्पित कराये जान हेतु कमिश्नर, स्टाम्प के यहाँ प्रेषित किया जावें। जहाँ तक आदेश दिनाकिंत 19.11.1022 के पृष्ठ संख्या 5 पर 3,00,000/— रू. के स्थान पर 30,00,000/— रू. लिखा है, निश्चितः टंकणीय त्रुटी होने से उसे लाल स्याही से दुरूस्त किया जावें। जहाँ तक पृष्ठ संख्या 2 की कोई त्रुटी नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र इस हद तक खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने प्रमाणित प्रति हेतु दि. .... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम—1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –6–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए